संख्या-15/1310/22-4-14-48(46)/10

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 21 अक्टूबर,2014

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद की मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 13375/नम-2, दिनांक- 22-02-2014 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1672/22-4-2012-48(82)/12, दिनांक 06-02-13 एवं शासनादेश संख्या-265/22-4-2013-48(82)/12, दिनांक 01-03-13 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद की मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण सम्बन्धी पुनरीक्षित आगणन/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 10,68,05,000/- (रूपया दस करोड अडसठ लाख पॉच हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रायोजना प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्ठि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(5) अनुमोदित कार्य की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन; अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अथवा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(8) शासनादेश दिनांक 07-02-11 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य- 051- निर्माण-03-कारागारों का उच्चीकरण नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-1576/दस/2014, दिनांक-15-10-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/1310(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

((1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी,इलाहाबाद।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञां से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in